

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

TA Misc Case No. 104/2018-19

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
31.01.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अधिवक्ता श्री नरेश कुमार महतो द्वारा दिनांक-31.01.2019 को आवेदन दिया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा TA Misc Case No. 104/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण एवं बिक्रेता द्वारा भूमि बिक्रय करने में अभिरूची नहीं लेने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता-बिक्रेता वर्तमान में उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय-बिक्रय हेतु सहमत हैं। अधिवक्ता श्री नरेश कुमार महतो द्वारा उक्त अभिलेख को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है। श्री नरेश कुमार महतो द्वारा दिये गए आवेदन पत्र के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अन्तरण हेतु स्वीकृति दी जाती है।</p> <p align="center">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-44, दिनांक-23.01.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.01.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका श्री भरत प्रमाणिक, पिता/पति- स्व0 गुरुचरण प्रमाणिक, जाति- नाई (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- कोलचकड़ा, पो0+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- श्यामरायडीह, थाना- चक्रधरपुर, थाना नं०- 646, खाता नं०- 07, प्लॉट नं०- 348, रकवा- 0.06 ए0 आवासीय भूमि, क्रेता मुरली प्रमाणिक, पिता/पति- कृति प्रमाणिक, जाति- नाई (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- ईटोर, पो0- महलपानी, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन भूमि बिक्रेता- श्री भरत प्रमाणिक, पिता/पति- स्व0 गुरुचरण प्रमाणिक, जाति- नाई (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- कोलचकड़ा, पो0+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति- नाई (अ०पि०वर्ग०), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा- 2.60.00 ए0, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता श्री भरत प्रमाणिक, पिता/पति- स्व0 गुरुचरण प्रमाणिक, जाति- नाई (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- कोलचकड़ा, पो0+थाना- चक्रधरपुर, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि क्रेता- मुरली प्रमाणिक, पिता/पति- कृति प्रमाणिक, जाति- नाई (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- ईटोर, पो0- महलपानी, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम को 6,12,600/- (छः लाख बारह हजार छः सौ) रुपये में बेचने का स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p>लेखापित</p>	

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।